Department of Industries & Commerce, Haryana

Form-III

"Certificate of Registration to be Issued under Section 9(1) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012"

(See rule 5 and rule 6)

Certificate of Registration of Society

I hereby certify that a Society bearing the Registration Number and name as undermentioned has been registered this [24] day [Mar] month [2017] year under the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Haryana Act No. 1 of 2012).

State Code	District Code	Year Of Registration	Registration Number
H R	1 1	2 0 1 7	0 1 6 7 3
Name Of the Society		**Registered Office Address**	
Krishna Dangi Memorial Education Society		House No. 235, Village Lakhuana, PO Moujgarh, Tehsil Mandi Dabwali, Distt. Sirsa	

Issued under my hand at [Sirsa] this [24] day of (month)[Mar] (Year)[2017] having Unique Identification Number - 2000118558

Issuing Authority,
District Registrar, . Haryana.

SOME IMPORTANT PROVISIONS OF THE HRRS ACT 2012 TO BE FOLLOWED :

- One Flat one vote.
- Collegium Scheme to be approved from District Registrar if members strength is more than 1000.
- Administrator if appointed will not enroll new members, incur capital expenditure and give employement in the society.
- Terms of Governing Body not to be more than 3 years.
- Member to be not less than 21 year age.
- Office bearers of society (Three to twenty one).
- General Body and other meeting should be conducted with quorum i.e 1st meeting - 40%, 2nd meeting - 25% and 3rd meeting - 15% (see entire Provisions)
- Submission of mandatory Annual Returns i.e. list of members, list of members of collegium, list of office bearers, Annual Report on working, Balance Sheet & Auditors Report, Copy of special resolution otherwise shall attract penalities & fines as per provisions of Act.
- In case of Joint Apartment owners, 1st owner will be eligible to contest the elections.
- Proxy voting not allowed.
- Condominium/ Association covered under Apartment Ownership Act 1983 is to be formed by owners only.
- Election observer may be appointed by District Registrar or on request of Society

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

Governing Body of the Society

SNo.	Name of Member	Membership Number	Full Address	Date of Enrollment	Designation
1	Ugersan Dangi	1	Village Lakhuana	2017-03-03	President
2	Sushil Kumar	2	Village mangalia	2017-03-03	Secretary
3	Dilawer Singh	13	Village Dukra	2019-03-03	Cashier
4	Sunita	15	Village Dukra	2019-04-03	Executive Member
5	Rakesh Kumar	14	Village Barasari	2019-03-03	Executive Member

General Members of the Society

SNo.	Name of Member	Membership Number	Full Address	Date of Enrollment	Membership Type
1	Ugersan Dangi	1	Village Lakhuana	2017-03-03	Founder Member
2	Sunita	15	Vilage Dhukra	2019-04-03	Honaray Member
3	Khushboo Saini	19	City Sirsa	2019-04-05	Honaray Member
4	Sushil Kumar	2	Village mangalia	2017-03-03	Tenure Member
5	Dilawer Singh	13	Vilage Dhukra	2019-03-03	Tenure Member
6	Rakesh Kumar	14	Village Barasari	2019-03-03	Tenure Member
7	Maya devi	17	Vilage Dhukra	2019-04-05	Tenure Member

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

समिति का ज्ञापन पत्र

क्र0सं0	विषय	वर्णन
1	सोसायटी का नाम	**कृष्णा डांगी मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी**
2	सोसायटी का रजिस्टरीकृत कार्यालय पर होगा	**मकान नं. 235, गांव लखुआना डाकघर मौज [illegible] तहसील मण्डी डबवाली जिला सिरसा राज्य हरियाणा।**
3	अधिकारिताः	सोसायटी भारतवर्ष के क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकेगी।
4	सोसायटी के लक्ष्य तथा उद्देश्य निम्न प्रकार होगेः–	

1. फायर सेफ्टी, अग्निश्मन, स्कूल व शिक्षण संबंधि समस्त कार्य, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन का कार्य करेगी।
2. समिति शिक्षण से संबंधित सभी प्रारूपों यथा तकनिकी, छात्रावास, व्यवसायी, खेल संबंधी, चिकित्सा पर संस्थाओं की स्थापना व संचालन किया जाऐगा।
3. समिति द्वारा आमजन को समाजहित में कार्य करने के लिए जागरूक किया जावेगा व जिन लोगों ने समाज सहित में कार्य किया है उनको सम्मानित किया जावेगा।
4. ऊर्जा की अक्षय स्त्रोत आरंभ करते हुए कुटीर प्राधोगिकी को प्रोत्साहन देना तथा विस्तार।
5. अनुसंधान कार्य कार्यवाही आरंभ करते हुए कुटीर तथा लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना।
6. ऐसे कार्यक्रम आरंभ करना, जिसमें विज्ञान तथा प्रौद्यीगिकी महिलाओं के जीवन, कार्य स्थिति को सुधारने तथा लाभ करन नियोजन के लिए अवसरों में मुख्य भूमिका हो।
7. सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने सहित पारदर्शी रीति में नागरिक सेवाओं को प्रदान करने में लगाना,
8. ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ करना जो सोसायटी के कमजोर वर्गों विशेष रूप से योजना में हिस्सेदार शामिल करते हुए गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले तथा महिलाओं के आय स्तरों को बढ़ाना तथा रोजगार अवसरों का विस्तार प्रारंभ, गतिविधियों का लागुकरण तथा अनुरक्षण सुनिश्चित करना।

Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

Sushil Kumar

प्रधान | सचिव | कैशियर

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

9. समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त कर सकेगी। यह ऋण बैंक, वित्तीय संस्थान व व्यक्ति विशेष से हो सकेगा। समिति इन में से जिनसे भी उचित समझेगी उस विकल्प से ऋण प्राप्त कर सकेगी।

सोसायटी के प्रबंधक कमेटी के सदस्यों के नाम जिसके प्रबन्धन कार्यों के नियत तथा उप विधियां सौंपी जाती है, वे निम्न अनुसार है।

क्र. सं.	सदस्य का नाम	उम्र	पद	सदस्य का पूरा पता	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	उग्रसैन डांगी पुत्र श्री विजय सिंह	24 वर्ष	प्रधान	मकान नं. 235, गांव लखुआना डाकघर मौज तह0 मंडी डबवाली, जिला सिरसा	प्रोफेसर	
2	सुशील कुमार पुत्र श्री लेख राज	24 वर्ष	सचिव	गांव मंगालिया जिला सिरसा	छात्र	Sushil Kumar
3	विजय सिंह पुत्र श्री देग राज	50 वर्ष	खजांची	मकान नं. 235, गांव लखुआना डाकघर मौज तह0 मंडी डबवाली, जिला सिरसा	कृषक	विजय सिंह
4	भवानी सिंह पुत्र श्री टिका राम	29 वर्ष	कार्यकारी सदस्य	12, मीना कॉलोनी, जेल बाजारिया के पीछे, सवाई माधोपुर, राजस्थान	प्रो.	
5	अरुण कुमार सिंह पुत्र श्री जयपाल सिंह	36 वर्ष	कार्यकारी सदस्य	कमल नाना जी, सेलोकर, संत ज्ञानेश्वर मंदिर, विद्या नगर, भंडारा, महाराष्ट्र	प्रो.	
6	भीम सिंह पुत्र श्री देग राम	40 वर्ष	कार्यकारी सदस्य	मकान नं. 235, गांव लखुआना डाकघर मौज तह0 मंडी डबवाली, जिला सिरसा	कृषक	भीम सिंह
7	संतोष देवी पत्नी श्री नरेश कुमार	28 वर्ष	कार्यकारी सदस्य	मकान नं. 235, गांव लखुआना डाकघर मौज तह0 मंडी डबवाली, जिला सिरसा	गृहणी	

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान | सचिव | कैशियर

Sushil Kumar | विजय सिंह

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

अनुबन्ध–3
सोसायटी के लिये उपविधियां

1. सोसायटी का नाम: **कृष्णा डांगी मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी**
2. रजिस्टरीकृत कार्यालय का पता: **मकान नं. 235, गांव लखुआना पोस्ट ऑफिस मौजगढ़, तहसील मण्डी डबवाली जिला सिरसा।**
3. सोसायटी का कार्यक्षेत्र: सम्पूर्ण भारतवर्ष
4. सदस्यता:

क– सोसायटी के संस्थापक सदस्य/मूल अंशदाता सहित अधिकतम 21सदस्य होगें।

ख– पात्रता सोसायटी के सदस्य के रूप में प्रवेश किये जाने के उद्देश्य से व्यक्ति:–

- प्रवेश की तिथि को 21 वर्ष की आयु होनी चाहिये।
- सोसायटी के लक्ष्य तथा उद्देश्यों में अंशदान करना चाहिये।
- प्रवेश फीस तथा वार्षिक अंशदान फीस जमा करने चाहिये तथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिये वार्षिक सामान बैठक की तिथि को ऐसी फीस के भुगतान के बकाया में नहीं होने चाहिये।
- दिवालिया तथा विकृत चित नहीं होने चाहिये।
- एक वर्ष या अधिक के कारावास लेने वाले नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद् दोष नहीं होना चाहिये।

ग– सदस्यों की प्रकार/किस्म/प्रवर्ग सोसायटी निम्नानुसार सदस्यों के चार विभिन्न प्रवर्गों की होगी।

घ– **संस्थापक सदस्य–** सदस्य जो सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के समय पर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है तथा सोसायटी को अपेक्षित सदस्यता फीस की भुगतान कर दिया है। संस्थापक सदस्यों की संख्या 07 से अधिक नहीं होनी होगी। संस्थापक सदस्य सोसायटी के आजीवन सदस्य बने हुए भी समझे जाएंगे तथा यदि सोसायटी के के कुल संख्या 300 से अधिक है, तो निर्वाचन के बिना कॉलिजियम के सदस्य होने के नाते विशेषाधिकार रखेंगे।

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान | Sushil Kumar सचिव | विजय सिंह कैशियर

Cosmonaut International School — Rakesh Kumar, Principal

Cosmonaut International School — Sushil Kumar, Manager

Scanned with CamScanner

ङ— **आजीवन सदस्यः—** किसी व्यक्ति के विहित फीस के भुगतान पर आजीवन सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है तथा ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के लिए सोसायटी के सदस्य के रूप में बना रहेगा। आजीवन सदस्यों की कुल संख्या से दो अधिक नहीं होगी।

च— **साधारण सदस्यः—** सोसायटी में अधिकतम कुल 21 साधारण सदस्य हो सकेंगे जो उनकी वार्षिक अंशदान फीस के भुगतान के बकाया में न होने तक केवल अपनी सदस्यता का निरन्तर उपभोग करेंगे।

छ— **अवैतनिक सदस्यः—** शासकीय निकाय विख्यात प्रतिभा तथा मैरिट के व्यक्तियों को शामिल कर सकती है या जिसकी संख्या सोसायटी के लिए लाभप्रद के रूप में समझी जाती है या जिसमें सोसायटी के लिए उत्कृष्ट मैरिट सेवाएं अर्पित की है या जो सोसायटी के अवैतनिक सदस्य के रूप में भारत का या किसी अन्य देश का विख्यात नागरिक है, को व्यक्तिगत सहमति प्राप्त करने बाद सदस्यता या अंशदान फीस के भुगतान के बिना शामिल किया जा सकता है। ऐसे अवैतनिक सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। अवैतनिक सदस्य बैठक में उपस्थित होने तथा विचार विमशर्म में सहायक होंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) **सदस्यता फीस तथ वार्षिक अंशदानः—**

क— सोसायटी की सदस्यता के लिए दरें तथा वार्षिक अंशदान निम्न अनुसार होगें।

जो सोसायटी द्वारा अपनी उपविधियों में निर्णीत किए गए			
क्र.स.	सदस्य की किस्म	प्रवेश फीस	वार्षिक अंशदान
1	संस्थापक सदस्य	250/—रूपये	शून्य
2	आजीवन सदस्य	500/—रूपये	शून्य
3	साधारण सदस्य	100/—रूपये	500/—रूपये
4	अवैतनिक सदस्य	शून्य	शून्य

ख— सदस्य के वार्षिक अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देया होगा, जो ऐसे वर्ष का जून के 30 वें दिन तक अन्तिम रूप में भुगतान किया जा सकता है। चूककर्ता सदस्य की सदस्यता देय तिथि (30 जून) के बाद निलम्बनाधीन में समझी जाएगी तथा ऐसा सदस्य कथित वर्ष की प्रथम के बाद कराए गए सोसायटी के निर्वाचनों के दौरान अपना मत डालने के हकदार नहीं होंगे।

प्रधान सचिव कैशियर

Sushil Kumar

विजय सिंह

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

ग— वार्षिक अंशदान के भुगतान में चुक के कारण सदस्यता का निलम्बन भुगतान योग्य राशि पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित चूक को चुकाने के बाद रद्द किया जा सकता है। तथापि वह बाकी के वित्तीय वर्ष के दौरान किराए गए किसी निर्वाचन में अपना मत डालने के लिए पात्र नहीं होगा।

(5) **प्रवेश परिक्रिया (अंशदाता से अन्यथा सदस्यों के लिए)**

क— सोसायटी के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश समय पर इसके शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाएगा।

ख— सोसायटी के सदस्य के रूप में इच्छुक व्यक्ति विहित प्ररूप में तथा विधिव्रत भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित तथा सोसायटी के नियमित सदस्य द्वारा अनुशासित सचिव का समर्थित दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

ग— सचिव आवेदन की जांच करेगा तथा उसे निर्णय के लिए शासकीय निकाय के सम्मुख रखेगा।

घ— शासकीय निकाय आवेदन के स्वीकृत या रद्द कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में शासकीय निकाय का निर्णय अन्तिम होगा। यह इसके निर्णय के लिए कोई कारण देने हेतु बाध्य नहीं होगा।

ङ— शासकीय निकाय का अनुमोदन सदस्य को सूचित किया जाएगा, उसका नाम हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन नियम 2012 के अधीन तथा विहित एसी रीती तथा प्ररूप में रखे जाने वाले सदस्यों के रजिस्टर मे दर्ज किया जाएगा तथा उसे सोसायटी का पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

च— प्रत्येक सदस्य के लिए पहचान पत्र सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के व्यक्तिगत सदस्य तथा महा सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसके फोटो, संक्षिप्त ब्योरो तथा सदस्यता प्रवर्ग सहित पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

(6) **सदस्यों के अधिकार तथा बाध्याताएं:—**

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान	Sushil Kumar सचिव	विजय सिंह कैशियर

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

a) सोसायटी के सभी सदस्य इसकी उपविधियों में यथा अन्तर्विष्टि तथा समय–समय पर संशोधित सोसायटी के नियमों तथा विनियमों द्वारा बाध्य होगे।

b) अवैतनिक सदस्य के सिवाए प्रत्येक सदस्य को सोसायटी के किसी देयों तथा देय तिथि से आगे तीन मास की अवधि के लिए वार्षिक अंशदान के भुगतान में चुककर्ता नहीं है।

c) सोसायटी के प्रत्येक सदस्य को सात दिन का नोटिस देते हुए किसी कार्य दिवस को सोसायटी की लेखा पुस्तकों सामान्य बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत वाली पुस्तकों शासकीय निकाय की बैठकों तथा सदस्यों के रजिस्टर का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

d) प्रत्येक सदस्य उसके पते में किसी परिवर्तन के बारे में सोसायटी को सूचित करेगा जो सोसयटी के सदस्यों के रजिस्टर में विधिवत अभिलिखित किया जाएगा तथा जिसके बाद सोसायटी ऐसे सदस्य को नया पहचान पत्र जारी करेगी।

(8) **सदस्य की समाप्तिः–** सदस्य के रूप में शामिल कोई व्यक्ति निम्नलिखित घटनाओं में सोसायटी के सदस्य के रूप में नहीं रहेगाः

a) अधिनियम की धारा 22 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों को आकर्षित करने।

b) सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रतिकूल उसके कार्य करने पर।

c) ऐसे सदस्य के सोसायटी की निधियों का वित्तीय गबन का दोषी पाए जाने पर

d) सोसायटी के जिला रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार/महा रजिस्ट्रार द्वारा हटाने के लिए अभ्यारोपण तथा निर्देशनों पर।

e) अवैतनिक सदस्य सोसायटी के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा यदि शासकीय निकाय इस निमित संकल्प पारित करते हुए ऐसा निर्णय करता है।

(9) **सामान्य निकायः–**

क– सदस्य के रूप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति सोसायटी के शासकीय निकाय का सदस्य होगा तथा सोसायटी के शासकीय निकाय के निर्वाचन के लिए अपना मत डालने के लिए जब तक हकदार होगा जब तक वार्षिक अंशदान सहित सोसायटी के किन्हीं देयों के भुगतान में बकाया में नहीं रहता है।

Deputy Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान

Sushil Kumar
सचिव

विजय सिंह
कैशियर

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

ख– प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप में अपना मत डालेगा तथा कोई भी प्रतिपुरूष मतदान अनुज्ञान नहीं किया जाएगा।

(10) **सामान्य निकाय की बैठकें:–**

क– सोसायटी के सामान्य निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी। तथापित सोसायटी के सामान्य निकाय की कम से कम एक बैठक बुलाई जाएगी जैसा कि वार्षिक सामान्य बैठक (ए जी एम) तथा अपेक्षित सोसायटी के किसी अन्य कारोबार के संव्यवहार के अतिरिक्त सोसायटी के विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों के विचारण तथा अंगीकरण के लिए वित वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर एक वर्ष में बुलाई जाएगी।

ख– सोसायटी का शासकीय निकाय या तो वह स्वंय या सामान्य निकाय के सदस्यों के कम से कम 1/10 में ऐसी बैठक बुलाने के लिए कारणों सहित लिखित मांग की प्राप्ति के 45 दिन के भीतर इसके अधीन यथा विहित उचित नोटिस देने के बाद किसी समय पर सोसायटी के सामान्य निकाय की असाधारण बैठक बुला सकता है।

ग– सामान्य निकाय की किसी बैठक के लिए संव्यहारित किये जाने वाले कारोबार के एजेंडे के प्रति बैठक की तिथि समय तथा स्थान सहित कम से कम 15 दिन का स्पष्ट नोटिस सामान्य निकाय के सदस्यों को दिया जाएगा। ऐसे नोटिस की एक प्रति जिला रजिस्ट्रार को पृष्ठांकित की जाएगी।

घ– सामान्य निकाय की बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों के बहुमत द्वारा (कुल सदस्यों का कम से कम 50 प्रतिशत से अधिक) यदि सहमत हो लघु नोटिस पर भी बुलाई जा सकती है।

ङ– सामान्य निकाय की बैठक के लिए गणपूर्ति अधिकतम चार सदस्यों के अध्यधीन मत के लिए हकदार तथा व्यक्तिगत रूप में उपस्थित कुल सदस्यों के 40 प्रतिशत से होगी। गणपूर्ति की कमी के लिए बैठक की दशा में स्थगित बैठक के लिंए गणपूर्ति अधिकतम ... अध्यधीन कुल सदस्यों के 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। सामान्य निकाय किसी विशेष संकल्प के विचारंण के सिवाएं ऐसी स्थगित बैठक में सभी

प्रधान — Sushil Kumar सचिव — विजय सिंह कैशियर

Dist. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

Cosmonaut International School
Rajesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

कारोबार पूरे करने के लिए सक्षम होगा। कोई विशेष संकल्प केवल ऐसी स्थगित बैठक में पारित किया जाएगा। यदि सोसायटी के कुल सदस्यों का कम से कम 25 प्रतिशत उपस्थित है।

च— सामान्य निकाय की सभी बैठकों की कार्यवाहियां सचिव द्वारा प्रयोजन के लिए अलग रूप में रखी गई कार्यवत पुस्तक (बांधी गई या खुल्ले पन्नों में) अभिलिखित की जाएगी तथा ऐसे कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसायटी के सचिव द्वारा हस्तारक्षित किए जाएंगे।

11— सामान्य निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यः—

क— सोसायटी को इसके लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का अवधारण करने पर तथा पूरा करने में गाईड करना।

ख— पॉलिसी मामलों का निर्णय करना जैसे कि सोसायटी के नाम का परिवर्तन सोसायटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों में संशोधन, सोसायटी के वार्षिक लेखों का अनुमोदन सोसायटी इत्यादि की अचल परिसम्पतियों के निपटान के लिए अनुमोदन तथा सभी ऐसे अन्य कार्य जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम तथा नियम 2012 के अधीन अपेक्षित हों।

ग— शासकीय निकाय के सदस्यों को निर्वाचन करना।

घ— शासकीय निकाय से किसी सदस्य को हटाना तथा आकस्मिक रिक्ति के विरूद्ध शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को बनाए रखने के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

12—शासकीय निकायः—

क— संयोजनः सोसायटी का शासकीय निकाय निम्न अनुसार कुल 101 पदाधिकारियों तथा सदस्यों तक का हो सकेगाः

(क) प्रधान

(ख) उप प्रधान

(ग) महा सचिव/सचिव

(घ) संयुक्त सचिव

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान — Sushil Kumar सचिव — विजय सिंह कैशियर

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

(ङ) खंजाची

(च) शासकीय निकाय द्वारा किसी अवैतनिक सदस्य के सहयोजन सहित बाकी कार्यकारी सदस्य होंगे।

13– शासकीय निकाय का निर्वाचनः

क– शासकीय निकाय की अवधि जिला रजिस्ट्रार द्वारा इसके निर्वाचन के अनुमोदन की तिथि तीन वर्ष की होगी।

ख– शासकीय निकाय निर्वाचनों को करवाने के लिए निर्वाचन की अनुसूची घोषित करेगा तथा रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा तथा निर्वाचनों को करवाने के लिए सामान्य बैठक को बुलाने से कम से कम 45 दिन पूर्व मत के हकदार सामान्य निकाय के सदस्यों की सूची भी अधिसूचित प्रदर्शित करेगा। शासकीय निकाय तिथि समय तथा रीति सूचित करते हुए सभी सदस्यों को शासकीय निकाय के निर्वाचन करवाने के लिए नोटिस भी भेजेगा। शासकीय निकाय के लिए निर्वाचन करवाने के संबंध सूचना जिला रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के लिए भी भेजेंगे यदि वह ऐसी इच्छा करें।

ग– मत के लिए हकदार सोसायटी के सदस्यों की सूची के रूप में किसी आक्षेप का सोसायटी के पदाधिकारियों के साथ परामर्श से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जाएगा। तथापि, रिटर्निंग अधिकारी, का निर्णय राय की किसी भिन्नता की घटना में अन्तिम होगा। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन की अनुसूची, नामांकन की संवीक्षा तथा वापिस यदि कोई हो, में विहित अवधि के भीतर दायर किए जाने के लिए नामांकन आमंत्रित करेगा।

घ– रिटर्निंग अधिकारी सोसायटी के नोटिस बोर्ड पर चुनवा लड़ने वाले सदस्यों की सूची प्रदर्शित करेगा। रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचना तिथि को निर्वाचन करवाएगा। मत के लिए पात्र सदस्य की स्वंय तथा जहां कही विवाद हो, सोसायटी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रस्तुती पर अपना मत डालने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

ङ– मतदान की तिथि को समय की समाप्ति के बाद, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम घोषित करेगा तथा सोसायटी का शासकीय निकाय गठित

प्रधान | सचिव Sushil Kumar | कैशियर विजय सिंह

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Dept. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

Scanned with CamScanner

करेगा। निर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी सदस्यों की सूची 30 दिन के भीतर जिला रजिस्ट्रार के पास दायर करेगा, जो अपनी सन्तुष्टि पर उसका अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।

च– सोसायटी के पदाधिकारी सोसायटी की सेवाएं देने के लिए किसी परिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होगे।

14– शासकीय निकाय की किसी आकस्मिक रिक्ति को भरना:–

शासकीय निकाय के किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति सोसायटी की आगामी वार्षिक सामान्य बैठक करने तदर्थ आधार, पर सामान्य निकाय के सदस्यों में से यदि अपेक्षित हो, शासकीय निकाय द्वारा भरी जा सकती है। शासकीय निकाय के ऐसे तदर्थ सदस्य आगामी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि को शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में समाप्त हो जाएगा, यदि उसका नियुक्ति शासकीय निकाय की शेष अवधि के लिए बहुमत द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित नहीं की जाती।

15– शासकीय निकाय की बैठक:–

क– शसकीय निकाय की बैठक जब कभी अपेक्षित हो बुलाई जाएगी तथापि शासकीय निकाय प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगा तथा वित्त वर्ष में शासकीय निकाय की कम से कम चार बैठक होगी।

ख– प्रत्येक एसी बैठक का तीन दिन का स्पष्ट नोटिस बैठक के लिए नियत तिथि से पूर्व पदाधिकारियों तथा सदस्यों को शासकीय निकाय के सचिव द्वारा दिया जाएगा। तथापि शासकीय निकाय इसके सदस्यों के कम से कम 50 प्रतिशत की सहमति से जब कभी ऐसा अपेक्षित हो, लघु नोटिस पर बैठक कर सकता है।

ग– शासकीय निकाय की बैठकों की गणपूर्ति, अधिकतम 5 सदस्यों व अध्यधीन, शासकीय निकाय के कुल सदस्यों के कम से कम 40 प्रतिशत से होगी। यदि गणपूर्ति विद्यमान नहीं है तो बैठक दूसरी तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी। जिसके लिए उचित नोटिस जारी किया जाएगा। अधिकतम तीन सदस्यों के अध्यधीन स्थगित बैठक में उपस्थित स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति करेंगे।

घ– शासकीय निकाय की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियां इस प्रयोजन के लिए पृथक रूप में रखी गई कार्यवाही पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी। ऐसे

Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान | सचिव | कैशियर

Cosmonaut International School
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

कार्यवृत बैठक के अध्यक्ष तथा सोसायटी के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित लिए जाएगे। यदि अध्यक्ष या सचिव कार्यवृत हस्ताक्षर करने के लिए उपलब्ध नही तो वे शासकीय निकाय द्वारा यथा प्राधिकृत बैठक में उपस्थित किन्हीं दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

ड़– शासकीय निकाय प्रत्येक बैठक के कार्यवृत शासकीय निकाय की परवर्ती बैठक में पुष्टि के लिए रखे जाएंगे।

16– शासकीय निकाय की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्यः–

क– शासकीय निकाय सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेवार होगा तथा सोसायटी के सर्वोतम हित में कार्य करेगा जिसके लिए इसे कथित उद्देश्यों के लिए सोसायटी के निधियों तथा परिसम्पत्तियों के फैलाव के लिए सषक्त किया जाएगा।

ख– शासकीय निकाय इस द्वारा यथा निर्णीत इसके नाम से निधियां उठाने तथा पूर्णस्वाामित्व या पट्टा आधार पर चल तथा अचल सम्पति खरीदने के सक्षम होगा।

ग– शासकीय निकाय सोसायटी से संबंधित या में निहित सभी अचल सम्पतियों तथा चल परसम्पितयों का सम्पूर्ण प्रभार रखेगा तथा इन्हें ऐसी रीति में प्रबन्धित करेगा जैसा याह सोसायटी के शासकीय निकाय के सम्पूर्ण नियन्त्रण तथा निर्देशन के अध्यधीन उचित समझे।

घ– शासकीय निकाय रीति जो वह सोसायटी के सर्वोतम हित में उचित समझे, में निधियां निवेश्ज्ञ करने सक्षम होगा तथा वह निर्णीत रीति में सोसायटी की ओर से सम्पतियां उधार लेने या गिरवी रखने या बन्धक रखने के लिए सक्षम होगा।

ड़– ऐसे कृत्यों जो समय–समय पर सोंपे जाएं, की देखभाल करने के लिए विभिन्न स्थाई या तदर्थ समितियों गठित करना।

च– सीविनहीन रीति में लिपिकीय लेखा तथा अन्य कृत्यों की देखभाल करने के लिए सोसायटी के नियमित या अंशकालिक कर्मचारियों को [illegible] के लिए प्रबंध सृजित करना।

छ– बाहरी स्त्रोत से कतिपय कृत्य करना अर्थात सोसायटी के परिसरों की सफाई सुरक्षा तथा समरूप अन्य रख–रखाव गतिविधियां।

Dist. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान | Sushil Kumar सचिव | विजय सिंह कैशियर

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

ज— शिक्षण कार्य के संचालन के लिए अपने अधीन किसी भी स्थानी प्रबन्धन कमेटी का गठन करने का प्रस्ताव पारित करना व शर्तें लागु करना।

17— शासकीय निकाय के व्यक्तिगत सदस्यों की शक्तियां, कृत्य तथा कर्त्तव्यः—

प्रधानः—

(क) सामान्य निकाय की तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों नियंत्रित करना।

(ख) सभी ऐसे कार्य, कर्म तथा काम करना जैसा समय—समय पर सामान्य निकाय तथा/ या शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

(ग) किसी मामले पर विचार विमर्श को अनुज्ञता या अस्वीकार करना जो एजेंडों में शामिल नहीं किया जाता है।

(घ) सोसायटी/शासकीय निकाय के उचित तथा पारदर्शी कृत्य करना सुनिश्चित करना।

(ड़) हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की कड़ी अनुपालना सुनिश्चित करना।

(च) सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की सम्पूर्ण गतिविधियों/उपलब्धियो का पर्यवेक्षण तथा गाईड करना।

18— उप—प्रधानः—

(क) प्रधान की उसके कर्त्तव्यों को करने में सहायता करना।

(ख) प्रधान की अनुपस्थिति में प्रधान की ओर से कार्य करना तथा सभी कर्त्तव्यों का पूरा करना तथा सभी शक्तियों का प्रयोग।

(ग) सभी ऐसे कार्यद्व कर्म तथा काम करना जैसा शासकीय द्वारा प्राधिकृत किया जाए।

19— महा—सचिव/सचिवः—

(क) सोसायटी के सभी कार्यों को करना, संघटित करना, पर्यवेक्षण तथा प्रबन्ध करना तथा सोसायटी के कार्य के लिए सभी ऐसे कार्य करना तथा सभी ऐसे कर्तव्य पूरे करना जो प्रधान/शासकीय निकाय द्वारा सौंपे जाए।

प्रधान | Sushil Kumar सचिव | विजय सिंह कैशियर

Distt. Registrar Firms & Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

(ख) शासकीय निकाय के सम्मुख सोसायटी की सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करना, संवीक्षा करना तथा रखना तथा सदस्य का नाम उसे आधक्षर के अधीन सदस्यों के रजिस्टर में यदि अनुमोदित हो, दर्ज करना तथा उसके बारे में सदस्यों का सूचित करना तथा इस प्रकार शामिल किए गए सदस्यों को पहचान–पत्र जारी करना।

(ग) प्रधान की सहमति से सामान्य निकाय/शासकीय निकाय की बैठक आयोजित करना तथा इन उपविधियों के अधीन यथा विहित उचित नोटिस तामिल करना।

(घ) सामान्य निकाय तथा शासकीय निकाय की सभी बैठकों में हाजिर होना तथा बैठके करने में प्रधान की सहायता करना तथा सभी बैठकों को कार्यवाहियों का रिकॉर्ड करना।

(ड़) सोसायटी की वार्षिक रिर्पोट तैयार करना तथा वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसे रखने के अनुमोदन के लिए सोसायटी के लेखों सहित शासकीय निकाय के सम्मुख उसे रखना।

(च) सोसायटी/शासकीय निकाय का रिकॉर्ड रखना तथा परिरक्षण करना।

(छ) सोसायटी के सम्पूर्ण कार्यों की देखभाल करने में तथा सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधान की सहायता करना तथा सहयोग देना।

(ज) जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में सभी वैधानिक विवरणी/दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारों को समय पर दायर करना सुनिश्चित करना जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित किए जाएं।

(झ) सोसायटी की सामान्य मुद्रा की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए अभिरक्षा होना तथा शासकीय निकाय के अनुमोदन के अनुसार, जहां कही अपेक्षित हो, उसे लगाना।

(ञ) सोसायटी/शासकीय निकाय की और से पत्राचार करना तथा उसकी ओर से पत्रों तथा कागजों पर हस्ताक्षर करना तथा सुनिश्चित करना कि सभी वैधानिक रजिस्टर तथा रिकॉर्ड को उचित रूप से रखे तथा अनुरक्षित किए जा रहे है।

Distt. Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान	सचिव	कैशियर
[signature]	Sushil Kumar	विजय सिंह

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Princ[illegible]

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

(ट) निर्वाचन तथा वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि की घोषणा से पूर्व मत के लिए पात्र सदस्यों की सूची तैयार विधिवत अद्यतन करना तथा शासकीय निकाय के सम्मुख इसे रखना।

(ठ) सोसायटी के सभी कार्यक्रमों के प्रशासन तथा निष्पादन के सम्पूर्ण प्रभारी के रूप में कार्य करना/जिसमें पदों का सृजन, वेतन/पारिश्रमिक/भत्तों इत्यादि का नियतन, अमले की नियुक्तियां करने/लगाने, खरीद करने सहित शासकीय निकाय की ओर से वित्तीय कार्य शामिल है तथा सभी अन्य ऐसे काम करना जो समय–समय पर शासकीय निकाय द्वारा प्रत्यायोजन के अनुसार सोसायटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के प्रोत्साहन में आवश्यक हो तथा जहां कोई भी ऐसे प्रत्यायोजन सोसायटी के प्रधान के परामर्श से विशिष्ट रूप से नहीं किया जाता है।

20–संयुक्त सचिवः–

(क) सोसायटी के महा सचिव/सचिव की उसके कृत्यों तथा कर्तव्यों को करने में सहायता करना।

(ख) शासकीय निकाय द्वारा प्राधिकृत सीमा तक उसकी अनुपस्थिति में सोसायटी के सामान्य सचिव/सचिव के कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना।

(ग) ऐसे कृत्यों तथा कर्तव्यों की देखभाल करना तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो समय–समय पर सोसायटी के शासकीय निकाय द्वारा सौंपें तथा प्रत्यायोजित किए जाए।

21– खंजाचीः–

(क) सोसायटी के सभी वित्तिय सव्यवहारों तथा सोसायटी द्वारा प्राप्त खर्च की गई सभी राशियों के लेखे रखना तथा ऐसे मामले से संबंधित तथा परिसम्पति, जमा तथा दायित्वों की प्राप्तियों तथा खर्चों के रिकॉर्ड रखना।

(ख) प्रत्येक वर्ष, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शासकीय निकाय द्वारा नियुक्त चार्टड लेखाकार द्वारा लेखापरिक्षित सोसायटी के लेखे प्राप्त करना।

(ग) वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व सोसायटी के लेखा परिक्षित वार्षिक लेखे महा सचिव/सचिव के माध्यम से शासकीय निकाय को प्रस्तुत करना।

District Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

विजय सिंह

प्रधान | Sushil Kumar सचिव | कैशियर

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

(घ) सोसायटी की सभी लेखा पुस्तकों, वित्तीय रसीद पुस्तकों, व्यय वाउचरों बैंक पास बुक तथा चैक, नकदी इत्यादि के सम्पूर्ण अभिरक्षक के रूप में कार्य करना।

22—शासकीय निकाय के सदस्यों की समाप्तिः— शासकीय निकाय के पदाधिकारी / कार्यकारी सदस्य पदाधिकारी / कार्यकारी सदस्य के रूप में नही रहेंगे।

(क) उसके त्यागपत्र प्रस्तुत करने तथा स्वीकृति पर।

(ख) यदि वह इन उप विधियों के खण्ड 4 के उप खण्ड (8) के अनुसार सदस्य के रूप में नही रहा है।

(ग) यदि उसे सामान्य निकाय की बैठक में पारित संकल्प द्वारा हटाया जाता है।

23— सोसायटी के नियोजन से अपवर्जनः—

(क) सोसायटी का कोई भी सदस्य सोसायटी के पूर्ण कालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं रहेगा।

(ख) शासकीय निकाय के पदाधिकारियों तथा सदस्यों का कोई भी आश्रित या पारिवारिक सदस्य या निकट संबंधी उसकी अवधी के दौरान सोसायटी सदस्य या निकट संबंधी उसकी अवधि के दौरान सोसायटी के कर्मचारी के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

(ग) शासकीय निकाय का प्रत्येक पदाधिकारी तथा सदस्य घोषणा करेगा तथा सोसायटी के नियोजन में कोई व्यक्ति उसका निकट संबंधी है।

24— सोसायटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधनः— सोसायटी के संगम ज्ञापन तथा उपविधियों या नाम का परिवर्तन, समामेलन या विभाजन में काई संशोधन विशेष संकल्प के द्वारा केवल सामान्य निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। अपेक्षित दस्तावेजों की सत्यापित प्राप्ति सहित किसी ऐसे संशोधन या परिवर्तन की सूचना ऐसे समय के भीतर महासचिव / सचिव द्वारा जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में दायर की जाएगी जो हरियाणा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में विहित की जाए।

Dist. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

विजय सिंह
कैशियर

Sushil Kumar
सचिव

प्रधान

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

25– सोसायटी के संगम ज्ञापन, उपविधियों नाम इत्यादि में संशोधनः–

क– सोसायटी की आय के स्त्रोतों में सदस्यता फीस, वार्षिक अंशदान, सम्पति/परिसम्पति से किराया, ब्याज, परामर्श फीस, दान, उपहार अनुदान इत्याद के मदे प्राप्तियां शामिल होगी। सोसायटी इसके सदस्यों से ब्याज मुक्त लघु अवधि कर्ज के द्वारा या ब्याज पर अनुसूचित बैंक से भी निधियां ले सकती है। ब्याज पर अनुसूचित बैंक से कर्ज केवल पूंजीगत परिसम्पति के सृजन के खरीद के लिए लेगी तथा न कि किन्हीं परिस्थितियों के अधीन किसी आवर्ती राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए होगी।

ख– शासकीय निकाय वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान इसकी अनुमानित आय तथा पूंजीगत तथा राजस्व खर्च के आधार पर सोसायटी के वार्षिक बजट तैयार करेगा तथा अनुमोदन करेगा तथा सूचना के लिए वार्षिक सामान्य बैठक में सामान्य निकाय के सम्मुख उसकी प्रति भी रखेगा।

ग– सोसायटी के बैंक लेखे ऐसे सदस्यों/पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाएंगे जो समय–समय शासकीय निकाय द्वारा निर्णीत किया जाए।

घ– सभी परिसम्पति तथा निधियों सोसायटी से संबंधित होगी तथा सोसायटी में निहित होगी।

ड़– सोसायटी की सभी प्राप्तियां तथा भुगतान दस्तावेजों के माध्यम से किए जांएगे (अर्थात डी डी/पे आर्डर/चैक/बैंक ट्रांस्फर/आर टी जी एस) जिसमें सदस्यों से सदस्यता फीस तथा वार्षिक अंशदान की ओर सभी प्राप्तियां शामिल है। तथापि, शासकीय निकाय वित्तीय संव्यवहार की सीमाएं अवधारित कर सकता है जो कतिपय अन्य मामलों में नकद में की जा सकती है।

26–सोसायटी के लेखा संबंधी नियमः–

क– सोसायटी का खंजाची आय कर कानुन तथा या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों अर्थात रोकड़ बही इत्यादि को रखने तथा अनुरक्षण करने के लिए जिम्मेवार होगा सोसायटी द्वारा प्राप्त तथा खर्च धन की सभी राशियों तथा सोसायटी की

Distt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

Sushil Kumar

विजय सिंह

प्रधान सचिव कैशियर

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

परिसम्पति तथा दायित्वों के संबंध में इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भारत की चार्टर्ड लेखाकार की संस्था शामिल है।

ख– सोसायटी की लेखा पुस्तकें सोसायटी के महा रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार, या उन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकार द्वारा प्राप्त तथा किसी सदस्य द्वारा कारबार समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

ग– सोसायटी के वार्षिक लेखा सोसायटी के किसी दो प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

घ– शासकीय निकाय ऐसे परिश्रमिक पर जो शासकीय निकाय द्वारा अवधारित किया जाए, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए सोसायटी के लेखों की लेखा परीक्षा तथा आयकर विवरणी को दायर करने के लिए चार्टर्ड लेखाकार को, नियुक्त करेगा, जो शासकीय निकाय का सदस्य या शासकीय निकाय के किसी सदस्य का पारिवारिक सदस्य नहीं होगा।

27– सामान्य मुद्रा:–

सोसायटी के पास एक सामान्य मुद्रा होगी जो महासचिव/सचिव की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी तथा शासकीय निकाय द्वार अनुमोदन के अनुसार जहां कहीं यह अपेक्षित हो, लगाई जाएगी।

28– सोसायटी का समामेलन:–

सोसायटी स्वंय को एक समान लक्ष्यों तथ्ज्ञा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसायटी में समामेलित कर सकती है या अधिनियम की धारा 51 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के नियम 25 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार इस निमित्त पारित विशेष संकल्प द्वारा स्वंय में समामेलित करने के लिए किसी अन्य सोसायटी को अनुज्ञात कर सकती है।

29– सोसायटी का विघटन:–

क– सोसायटी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार स्वंय का विघटन करने के लिए प्रस्ताव कर सकती है यदि सोसायटी की प्रक्रिया को चलाना कठिन हो जाता है या दिवालिया हो जाती है या किसी अन्य दबाव तथा अपरिहार्य कारणों से इसे चलाना कठिन हो जाता है।

Asstt. Registrar of Societies
Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान	सचिव	कैशियर
(signature)	Sushil Kumar	(signature)

Cosmonaut International School
Principal

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner

ख– सोसायटी के विघटन की घटना में, सोसायटी की कोई भी परिसम्पति सोसायटी के सदस्यों को मिल जाएगी या में वितरित कर दी जाएगी।

ग– इसकी परिसम्पत्ति तथा सम्पत्तियां पहले किसी दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाएगी तथा छोड़ी गई सम्पतियां/परिसम्पतियां, यदि कोई हो, समरूप लक्ष्यों तथा उद्देश्यों सहित स्थापित किसी अन्य सोसायटी को या साधारण लोकहित में उसके प्रयोग के लिए जिला कलैक्टर को अन्तरण के लिए विचारी जाएगी।

30–फूटकर:–

क– समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी संस्थान एंवम् व्यक्ति से ऋण व अनुदान प्राप्त कर सकेगी। यह लोन एंवम् अनुदान किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, समिति, आयोग, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार इत्यादि से हो सकेंगे।

ख– समिति भारत के बाहर से भी लोन, ग्रांट, अनुदान, सब्सिडी, छात्रवृति इत्यादि प्राप्ति कर सकेगी।

ग– समिति द्वारा अपने कार्यों को सूचारू रूप से चलाने के लिए व आवश्यकता महसूस करने पर इन्कम टैक्स विभाग से पैन कार्ड, टैन नम्बर, 12ए– 80जी–, सेल–टैक्स विभाग से सैल्स टैक्स विभाग से टीन नम्बर, एस0टी0–38, डी0–1 फार्मा, बैंक से एफ0डी0 करवाना, बैंक लोन लेना, बैंक खाता खुलनवाना, व इससे संबंधित सभी कार्य करना जिसके लिए प्रधान व सचिव महोदय समिति की तरफ से अधिकृत किये जाते है।

घ– समिति की तरफ से समय–समय पर अपने कार्यों को बनाये रखने के लिए जो भी नियम संबंधित शासन द्वारा लागू किये जाऐंगे, उनकी पालना के लिए सभी प्रकार के दस्तावेजी व व्यक्तिगत कार्य के लिए जाऐंगे।

ड़– समिति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दानी सज्जनो से मलकीयत वसीका, वसीयतनामा आद व नगद, चैक, ड्राफट इत्यादि द्वारा दान प्राप्त कर सकेगी। यह दान चल व अचल सम्पति दोनो रूप में हो सकेगा। समिति पंजीकरण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत जो समिति का का गठन किया जा रहा है, उसकी अवधि तीन वर्ष की होगी उसके उपरान्त पुनः चुनाव किया जाऐगा।

Registrar of Societies, Department of Industries & Commerce, Haryana

प्रधान

Cosmonaut International School
Rakesh Kumar
Principal

Sushil Kumar
सचिव

विजय सिंह
कैशियर

Cosmonaut International School
Sushil Kumar
Manager

Scanned with CamScanner